[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 18/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि.___(अ).-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में कि किसी इकाई या किसी विकासकर्ता द्वारा आयात की गई सेवाओं को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड-/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification No. 18/2017 -Integrated Tax (Rate)

New Delhi, the 5th July, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do and on the recommendations of the Council, hereby exempts services imported by a unit or a developer in the Special Economic Zone for authorised operations, from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017).

F.No. DGEP/SEZ/09/2017

(Dharmvir Sharma)
Under Secretary to the Government of India